

फर्द अहकाम

(नियम 26)

A3

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रावतभाटा

चनश्याम बनाम दौलतराम

किसम मुकदमा प्राचीन पत्र नं. 01 सन 2019
128 CR 26

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
09.1.19	<p>प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.भार. एच.टी.द जंच प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>प्राचीन चनश्याम कोमकुवाय लुमिप्रा रेखा विवा अरतलाल वैश्या; बालराम जिला लीतराम दास वैश्या नि. शम्भुनाथ जीका खेडी ने ग्राम किशनपुरिया स्थित खेतदारी की आराजी नम्बर 278 रकम 0.27, 286 रकम 0.01 287 रकम 2.47 कीता 3 रकम 2.75 हे. की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उक्त आराजी प्राची के खेतदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>उक्त प्राची की ग्राम किशनपुरिया स्थित आराजी नम्बर 278, 286, 287 रकम 0.27, 0.01, 2.47 कीता 3 रकम 2.75 हे. की खेतदारी के फलजे अ दरतलालजी विवा अरतलाल नबशे अनुसार पत्थरगढी करके के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी स्वच्छ प्राची पहन करेगे। कमिशनर शुल्क 500/- रुपए आशरे पांच सौ मात्र प्राची से वसूल हो। पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को निश्चि जावे कि पक्षकारण को सूचित किया जाकर नियमानुसार उक्त आराजी की पत्थरगढी की जावे एवं कोई विवाद हो तो पुनः पेश करे पालना प्राप्त हो। पञ्जाबी कैलम शुमार हेकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा